# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

/ प्रार्थी — प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

....जुगताराम.......................बनाम.......जगदाराम.......................

रण : राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. .....96...... / 2022

| ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| -04 2022 | यह वाद / प्रार्थना पत्र अधीन धारा ..88, 53.... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील श्री ...योगेश कुमार... ...शर्मा... ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ...25/5/2022...को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 25/5/22 | वकुलाय उप। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल इंतजार होकर दि 15/6/22 को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 15/6/22 | अवकाश/पक्षकारान के आवश्यक<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23/6/22 23/6/22<br>पेश हो। | |
| 23/6/22 | वकुलाय उप। प्रतिवादी स. 1 व 2 का सम्मन बार तामील प्राप्त हुआ। प्रतिवादी स. 1 बाद इतला और हाजिर रहा है। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है प्रतिवादी क्र. 2 परफोर्मा पक्षकार है। वादी सूरजा राम ... स्थगन पत्र प्रस्तुत। आईन्दा ... नहीं चाहते है। कारण ... को पेश हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sunil Kumar<br>Date: 2022.11.02 10:28:38 IST<br>Reason: SelfAttested |

18/7/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकैन उप। वादी सुरजा राम का साक्ष्य-पत्र पेश हुआ। स्वा. शि रहे। आईन्दा साक्ष्य कराना नहीं चाहते है। मिसल वास्ते बहस हेतु दि. को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सुरजाराम
Bhanwar

20/7/2022 पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकैन उपस्थित। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः डिक्री लिखा जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली वास्ते PD इन्तजार में आईन्दा दिनांक 13/8/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

वकील/पक्षकारान के ध्यानार्थ

13/8/22

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29/8/22 को पेश करें।

29/8/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकलाय उप। संस्थापन प्रस्ताव प्राप्त। वकील फरीकैन को सुना गया। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 14/9/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

14/9/22 पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकैन उप। वाद वादी स्वीकार किया जाकर कृत्रिम डिक्री किया जाता है। बिस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मिसल किया जाकर निर्णय नम्बर ... आदेश एवं तरमीम ... दाखिल दफ्तर रहे।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद 96 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 155
सुरजाराम बनाम् जयराम वगैरह

## अतिंम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 96 / 2022

वादीगण–

1. सुरजाराम पुत्र श्री किशन
   जाति–माली, निवासी–जायल, तहसील जायल, जिला–नागौर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. जयराम पुत्र श्री किशन
   जाति–माली, निवासी–जायल, तहसील जायल, जिला–नागौर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।
3. नागौर सहकारी भूमि बैंक लिमिटेड, नागौर शाखा जायल

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 3 परर्फोमा पक्षकार

**दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल के खेत खसरा नंबर 2972 / 2519 रकबा 2.4281 हैक्टेयर , खसरा नंबर 3347 / 2543 रकबा 1.5378 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3349 / 1424 रकबा 0.0243 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा भूमि का विभाजन माफिक नजरीनक्शानुसार पक्षकारान् / सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी सुरजाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2972 / 2519 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.8094 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग व इसी खसरे में से 0.4046 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 3347 / 2543 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.7689 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 3349 / 1424 रकबा 0.0243 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा पूरा रखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. वादी जयराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2972/2519 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से 0.8094 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग व इसी खसरे में से 0.4047 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 3347/2543 रकबा 1.5378 हैक्टेयर में से 0.7689 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेंगें तथा संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/9/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/9/22 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:38 IST
Reason: SelfAttested